

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 31/2024

अनवान : -

1. राधेराम पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन पीरकामडिया तहसील टिब्बी हाल निवास चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 87/87 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।


उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राधेश्याम पुत्र चेताराम दर्ज है जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में राधेराम पुत्र चेताराम है। प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में राधेश्याम पुत्र चेताराम के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम राधेराम पुत्र चेताराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राधेराम पुत्र चेताराम है जबकि


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में राधेश्याम पुत्र चेताराम दर्ज है जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम राधेराम पुत्र चेताराम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 87/87 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम राधेराम पुत्र चेताराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम राधेराम पुत्र चेताराम दर्ज है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 87/87 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राधेश्याम पुत्र चेताराम के स्थान पर राधेराम पुत्र चेताराम का संशोधन किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राधेश्याम पुत्र चेताराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राधेश्याम पुत्र चेताराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राधेश्याम पुत्र चेताराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर
पीठासीन अधिकारी : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/502

दिनांक : 27/05/24

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :- प्रकरण स० 31/2024 अनवानी राधेराम बनाम
सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या - 31/2024

अनवान : -

1. राधेराम पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन पीरकामडिया तहसील टिब्बी हाल निवास
चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 87/87 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राधेश्याम पुत्र चेताराम के स्थान पर राधेराम पुत्र चेताराम का संशोधन किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राधेश्याम पुत्र चेताराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राधेश्याम पुत्र चेताराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राधेश्याम पुत्र चेताराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर